सूचना

Date – 14.12.2024

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसचित जाति, जनजाति, एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष–2024–25 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **छात्रवृति के लिए आय अधिसीमा :–**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राऍं, जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नही हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नही कर सकेंगें।

2. **आवेदन करने की प्रकिया :–**

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण–पत्रों की Scanned Copy(jpeg/jpg में 1mb तक) वेबसाईट पर अपलोड कर एक प्रति (आवेदन पत्र सहित) महाविद्यालय के लाईबेरी में दिनांक 14/12/2024 तक अवश्य जमा करें। :–

(I) आनलाईन के माध्यम् से निर्गत आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate) (अचंलाधिकारी/अनुमण्डल पदधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक 01/08/2024 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

(II) ऑनलाईन के माध्यम् से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (Cast Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(III) ऑनलाईन के माध्यम् से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(IV) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति।

(V) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of Previous Exam) की अभिप्रमाणित प्रति।

(VI) छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम् से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र–छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी। **बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।**

(VII) आधार की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(VIII) बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित की छायाप्रति

(IX) नामांकन रसीद की छायाप्रति।

Pravin Singh
16.12.24
PRINCIPAL
R. S. MORE COLLEGE
GOVINDPUR (DHANBAD)

16/12/24

3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा :–

क्र0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	छात्रवृति हेतु आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	सभी प्रपत्र (आवेदन सहीत) महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि
1	शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	14/12/2024	20/03/2025	20/03/2025

<u>नोटः–</u>

1. पोस्ट मैटिक छायवति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाए।
2. उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिाकोत्तर छायवृति हो सकेगी।
3. निश्चत समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाऐगा।
4. छात्र/छात्रा को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
5. एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्वि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

16/12/24

नोडल पदाधिकारी

Pravin Singh
16.12.24

प्राचार्य

PRINCIPAL
R. S. MORE COLLEGE
GOVINDPUR (DHANBAD)